

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-22.9.16

संख्या-14/प्रो० 112/2016 सा०प्र०-13012/ बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता/ समकक्ष स्तर के पदाधिकारी श्री अरूण कुमार, कोटि क्रमांक-346/11, सम्प्रति अपर समाहर्ता, सुपौल (अतिरिक्त प्रभार- प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, सुपौल, अति० प्रभार- उप विकास आयुक्त, सुपौल) को विभागीय अधिसूचना सं०-9689 दिनांक-13.07.16 द्वारा दिनांक- 18.06.2014 के प्रभाव से वैचारिक रूप से एवं उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ सहित संयुक्त सचिव/समकक्ष स्तर (पे-बैंड ₹ 37,400-67,000/-, ग्रेड पे ₹ 8,700/-) में प्रोन्नति दी गयी है ।

2. वित्त विभाग से प्राप्त सहमति एवं वित्त विभागीय परिपत्र सं०-7020 दिनांक-24.12.05 में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री अरूण कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-346/11 को दिनांक-18.06.14 के प्रभाव से वैचारिक रूप से तथा दिनांक-19.06.2014 के प्रभाव से आर्थिक लाभ सहित संयुक्त सचिव/समकक्ष स्तर (पे-बैंड ₹ 37,400- 67,000/-, ग्रेड पे ₹ 8,700/-) में प्रोन्नति दी जाती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विजय मोहन नागपटनी)
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक 14/प्रो० 112/16 सा०प्र०-13012 पटना-15, दिनांक-22.9.16

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, सुपौल/ जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ श्री अरूण कुमार, अपर समाहर्ता, सुपौल (अतिरिक्त प्रभार- प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, सुपौल, अति० प्रभार- उप विकास आयुक्त, सुपौल)/ प्रबंधक, आई० टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सी०डी० तैयार कर वित्त विभाग, बिहार, पटना को भेजने हेतु /सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(विजय मोहन नागपटनी)
सरकार के अवर सचिव ।